तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/2945/2005/गंगानगर शिवदयाल बनाम महेन्द्र सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-01-2019	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति-** श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता प्रार्थी श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी, राससिंह नगर द्वारा दिनांक 02-05-2005 को प्रकरण संख्या 66/2004 शीर्षक महेन्द्र वगैरा बनाश शीशपाल में पारित निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमो में वर्णित तथ्यों को दोराने बहस दोहराते हुए कथन किया कि वादी-गैर निगराकारान की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत वाद प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी-निगराकार की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी.पी.सी. प्रस्तुत कर आपत्ति की कि वादी द्वारा जो इकरारनामा लिख कर दिया है उसमें रुपये अदा नहीं करने की स्थिति में 14000/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से भूमि की रजिस्ट्री प्रतिवादी के पक्ष में करवाने के लिए लिखा गया है, अतः दावा सिविल प्रकृति का होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को गलत प्रकार से खारिज किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 में जो काज आफ एक्शन अंकित किया है वह स्पष्ट नहीं है। जब वादी संख्यचा 1 व 2 तथा 6 ने इकरारनामा पर हस्ताक्षर कर विवादित भूमि की एवज में 14000 रुपये प्रति बीघा की दर से विक्रय कर शेष राशि प्राप्त करने का इकरारामा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/2945/2005/गंगानगर शिवदयाल बनाम महेन्द्र सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी के साथ कर लिया था तो इस प्रकार के इकरार नामा को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं हो कर सिविल न्यायालय को ही रहता है। इनके द्वारा राजस्थान सरकार को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को सही प्रकार से समझे बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया है जो कि तात्विक रुप से अनियमित है और इसमें क्षेत्राधिकार का सदुपयोग नहीं होने से, निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जा कर आक्षेपित निगरानीधीन आदेश को निरस्त किया जाये और प्रार्थी पक्ष की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाए। अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि न्यायालय को वाद के अभिवचनों के आधार पर ही वाद बिन्दु तय करना होता है, आदेश 7 नियम 11 की प्राथमिक आपत्ति के आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। जिस इकरारनामा को विक्रय पत्र बजाया जा रहा है वास्तव में वह रहन का इकरारनामा है और रहन की मियाद समाप्त हो जाने के उपरान्त रहन की भूमि स्वतः ही बागुजाश्त मानी जानी चाहिए। प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी पक्ष द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है जो कि विधिक रुप से किया गया कब्जा नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत बेदखली का वाद लाना पडा है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी.पी.सी. को अस्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भूल या दुरुपयोग नहीं किये जाने से निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत निगरानीधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी खारिज की जाये। हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गौर पूर्वक अवलोकन व मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट है कि वादी–गैर निगराकारान की ओर से विचारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टिए/2945/2005/गंगानगर शिवदयाल बनाम महेन्द्र सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये वादपत्र अंतर्गत धारा 183 में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि वादी संख्या 1 व 6 ने भूमि बतौर रहण 3 साल के लिए प्रतिवादी को दी थी, जब कि प्रतिवादी का तर्क रहा है कि प्रश्नगत भूमि उसे बेचान की गई थी। पत्रावली में उपलब्ध प्रश्नगत इकरारनामा दिनांक 10-7-1997 की फोटो प्रति के अनुसार भी "ईकरार नामा भूमि राहिन" का किया गया है। प्रतिवादी का मुख्य रुप से यही आक्षेप रहा है कि इकरारनामा होने से इसकी सुनवाई हेतु राजस्व न्यायालय के स्थान पर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है किन्तु जैसा कि स्पष्ट है कि वादी का वाद धारा 183 के तहत बेदखली का रहा है और जिस इकरारनामा के आधार पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी.पी.सी. के आधार पर वाद को खारिज करने का जो आक्षेप लिया है, उसके आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को वाद के अभिवचनों के आधार पर ही वाद बिन्दु तय करना होता है। अतः इस प्रकार की स्थिति में हमारे सुविचारित मतानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी भूल या दुरुपयोग आक्षेपित आदेश पारित करने में नहीं किया गया है और निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत निगरानीधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना सम्भव नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	